

प्रतिनिधि अधिष्ठात्री अभियन्ता विद्युत विभाग/प्रीतपुर
रंगपुर लोहा हंसीपुर महेबा को उपनाम से जाना जाता है
अधिष्ठात्री हेतु संलग्न साहित्य प्रेषित।

पत्र संख्या-87-4080-81/पाठा लि/2002-20-4080/2000, दिनांक: 25.02.2002 का संलग्नक।
 अर्चना रिपोर्टों से अधिकांशियों के मुख्य उत्तरदायित्व, परिवेक्षणीय उत्तरदायित्व एवं प्रशासकीय उत्तरदायित्व

क्रम	कार्य	पद का नाम-जिला	पद का नाम-जिला	परिवेक्षणीय	पद का नाम-जिला	प्रशासकीय उत्तरदायित्व	अन्य जिले/मण्डल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नये जयर्षि ज्ञा सम्पादन	मुख्य उत्तरदायित्व होगा	उत्तरदायित्व होगा	उत्तरदायित्व होगा	प्रशासकीय उत्तरदायित्व	मण्डल	

लाइनें/विद्युत उपस्थान

1. 11 के0वी0 विद्युत लाईन नए
 2. 33 के0वी0 विद्युत लाईनें
 3. 132 के0वी0 एवं 132 के0वी0 से अधिक विद्युत लाईनें

विद्युत उपस्थानों का लक्ष्य निर्धारण
 1. 11/4 के0वी0 विद्युत उपस्थान
 2. 66/33/11 के0वी0 विद्युत उपस्थान
 3. 220/132/33 के0वी0 विद्युत उपस्थान

अवर अभियन्ता

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
 उप खण्ड अधिकारी
 अभियन्ता अभियन्ता
 उपमहाप्रबन्धक
 उपमहाप्रबन्धक

अधिकांशी अभियन्ता
 अधिकांशी अभियन्ता
 उपमहाप्रबन्धक
 उपमहाप्रबन्धक

अधिकांशी अभियन्ता

अधिकांशी अभियन्ता

उप महाप्रबन्धक
 महाप्रबन्धक
 उपमहाप्रबन्धक

अधिकांशी अभियन्ता

उपमहाप्रबन्धक

अधिकांशी अभियन्ता
 उपमहाप्रबन्धक

उपमहाप्रबन्धक

अधिकांशी अभियन्ता
 उपमहाप्रबन्धक
 उपमहाप्रबन्धक
 उपमहाप्रबन्धक

उपमहाप्रबन्धक

अधिकार का कार्य

उपखण्ड अधिकारी

822

2

3

4

5

6

गाइनों का निर्माण

11 के0वी0 तक अथर अभियन्ता उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता

11 के0वी0 से अधिक 33 के0वी0 आर अभियन्ता उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता

132 के0वी0 से ऊपर अथर अभियन्ता/ उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक

विद्युत उपस्थानों का निर्माण

11/0.4 के0वी0 तक अथर अभियन्ता उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता

33/11 के0वी0 से 132/33/11 अथर अभियन्ता/ उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक

132/33/11 के0वी0 से ऊपर अथर अभियन्ता उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक

विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजनों का दिया जाना

विद्युत भार की स्वीकृति की प्रक्रिया

बतती पंखा

उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक

अधिशासी अभियन्ता उपमहाप्रबन्धक

त0अभि0 राजस्व

विद्युत भार स्वीकृत करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत हैं:-

1. 7.5 के. डब्ल्यू. (KW) त0अभि0 अधिकारी
2. 7.5 के. डब्ल्यू. से 25 के. डब्ल्यू. (KW) अधिशासी अभियन्ता
3. 25 से 75 के. डब्ल्यू. (KW) उपमहाप्रबन्धक
4. 75 से 1000 के. डब्ल्यू. (KW) महाप्रबन्धक

महाप्रबन्धक

1000 के. डब्ल्यू. से ऊपर

विभाग

21

हृषीकेश मन्दिरस्थल सर्वस्व

एन्टीमेट का बनाया जाना

एस्टोमेट को "स्वीकृति की प्रक्रिया"

.।३।

...

2. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

भार एवं यूस्टीमेंट की स्वीकृति
उपखण्ड अधिकारी/सोअमि
मेन्स अयिकृत है। एजहाँ बा
की डूरी 40 पीटर से अधिक
न है।

2. औद्योगिक तथेयन एवं निजी नलक्ष
एवं अन्ध
टी ० निर्माण एवं लाईन आदेश/का
आदेश

टी० सी० निर्गुन एवं लाईन आदेश/काद
आदेश

१. दत्त, पृष्ठ १

2. औद्योगिक एवं निजी नक्षत्र एवं अन्वेषण में लिपिबद्ध/

[illegible]

1. बत्ती पंखा तथा निजी नलकूप तथा अवर अभियन्ता
तथा 15 अंगठ तक के शौचो-
गिर सह प्रत्येक

2. 15000 से अधिक के औद्योगिक तथा अवर अभियन्ता
अ-प

प्रीट र लगाना तथा नये तंदीजनों की पूरना

१. बहिनो पखा तथा । अंगो तः के
अपौगिक एतः अप

पक्षी शिखर
२६-२७ दिप

उपखण्ड अधिकांश
संशोधन

अभिधातय अभिधातय अभिधातय

2. आरम्भ से 100 अक्षर तक औपचारिक

३. 100 अंशों से अधिक के आयोजिक एवं अन्य.

अथ श्री अष्टांगिक कर्मप्रणाली का नैजराह्योक्त

३ राजस्थान निर्धारण एवं चण्डी :

THE
HISTORICAL RECORD OF THE
CITY OF NEW YORK

१. बल्लती तथा पखा एवं १५ अश्व शक्ति
तक औद्योगिक एवं अन्य

नोट :- परिषदाधीन कर्मचारी वर्ग की सेवा विनियमावली 1995 के तहत लाइसेंस का पद नाम तकनीकियन ग्रेड-2 लाईसन्स मीटर रीडर/मीटर टेस्टर का पद नाम तकनीकियन ग्रेड-2 लिपुत है।

2. 15 से 50 अक्षर शब्दों, अवैधोक्तियों एवं अन्य

3. 50 સે ૫૫ ૧૮૦ અથવા ૧૮૦ થી વધુ

100 R. 2. 505 J. 0170 क. स. ७

5 500 अ.ग्रा. से 250 ग्र

जहाँ अद्वैतानिष्ठ विद्वान् उपभोगों के प्रति वर्धमान हैं

1. कर्त्तृ, पञ्चास्यं, अतो तस्य अपोपगच्छ

॥ ५ ॥

5. 10. 1941

पृष्ठ संख्या २-३

अभिहित

३५३ अ पियारा

7.500

अभिजात

10

[illegible]

[Faint handwritten text, possibly "L. J. ..."]

2912

501

2. 15000 से 50000 तक औद्योगिक एवं अन्य तकनीक शिपन ग्रेड-2 उपखण्ड अधिकारी
विद्युत
अवर अभियन्ता वितरण
3. 50000 से 500000 तक औद्योगिक एवं अन्य अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी अभियन्ता
4. 500000 से ऊपर औद्योगिक एवं अन्य अवर अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी/
अभियन्ता अभियन्ता

उपमहाप्रबन्धक

सुप्रीम न करने की दशा में या अन्य विद्युत विच्छेदन तथा सूचना प्रेषित करना।

1. दत्ती, पंडा, निजी नलकूप, 50000 तकनीक शिपन ग्रेड-2
तक के समस्त उपभोक्ता लाइन

2. 50000 से ऊपर 500000 तक के समस्त विद्युत उपभोक्ता

3. 500000 से ऊपर के उपभोक्ता

उपखण्ड अधिकारी

अभियन्ता अभियन्ता

विद्युत विच्छेदन की सूचना पर कार्यवाही लेजर में अंकित कराना

1. दत्ती, पंडा, निजी नलकूप तथा 100 संबंधित विल लिपिक/
विरुद्ध विल लिपिक

2. 500000 से अधिक के औद्योगिक एवं अन्य संबंधित विल लिपिक

- लेजर-3 तथा लेजर-5 की अधिसूचना निर्गत करना

1. दत्ती पंडा, निजी नलकूप तथा 100 संबंधित विल लिपिक/
विरुद्ध विल लिपिक

2. 1000000 से ऊपर के औद्योगिक एवं अन्य संबंधित विरुद्ध विल लिपिक

सुप्रीम

अभियन्ता अभियन्ता (लेजर)
विद्युत (लेजर)

उपमहाप्रबन्धक

महाप्रबन्धक

उपखण्ड अधिकारी

अभियन्ता वितरण

अभियन्ता अभियन्ता

उपमहाप्रबन्धक

उपमहाप्रबन्धक

महाप्रबन्धक

संयोजक राजस्व

अभियन्ता अभियन्ता

अभियन्ता अभियन्ता

अभियन्ता अभियन्ता

अभियन्ता अभियन्ता

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

संनंयित विन लिपिक लेखकार राजनह
वरिष्ठ विन लिपिक राजनह

अध्यासी अभियन्ता 1. निजी नलकूप
1000000 तक
धोमिक एवं अन्य नि
विछेदन के पश्चात
का भुगतान केवल ख
कार्यालय में लिखा ज
अध्यासी अभियन्ता-

2. 100 अंशों से ऊपर के औद्योगिक एवं अन्य

संदर्भित वरिष्ठ बिल लेखाका र हाराजस्तः
लिपिक सभा ० हाराजस्तः

2. सेक्शन-5 की अधिसूचना निम्नलिखित कि. जाने के पश्चात् खगड़ भूतान दश प्रतिशत र कर के साथ ही लिपि जास्या जितमें तल्लू की राशि जिलापिड हो पूर्ण पूरना के साथ के दो जासगी ।

३. रखाया भूतान के पड़पात विपुल संयोजन के पुनः जोड़ने के आदेश का निर्माण

३।३. संतती पंखा, निजी नल्लुदु तथा
100 अंश 100 तक है औद्योगिक
एवं अन्य

लेखाकार राजन

सेवक-३ के नोट
 अ. १७७ मि. १७७ मि. १७७ मि.
 १७७ मि. १७७ मि. १७७ मि.
 १७७ मि. १७७ मि. १७७ मि.

॥ १०० अंशों में ता. र के अंशों में
पहले अंश

से खाता है राजसूय
राजसूय राजसूय
अपिशाती अमि=11

संविधानसभा के सदस्य

राजस्व वसूली :-

उपखण्ड स्तर

खण्ड स्तर

राजस्व वसूली की गवलों के अनुरूप जांच तथा वसूली की रसीदों की जांच :-

उपखण्ड स्तर

खण्ड स्तर

संदर्भित समस्त आंकड़ों का संकलन तथा संदर्भित अधिकारी को प्रेषण :-

खण्ड स्तर पर तभी आंकड़ों का संकलन तथा संदर्भित लिपि/

बैंक स्टेटमेन्ट से मिलान तथा उपमहाप्रबन्धक कैशियर राजस्व

को प्रेषण

की प्रबन्ध :-

प्रभुगुंठे तथा प्रेष्य तृकनी की काचों

सम्पादन हेतु

स्टेशनरी इण्डेंट

उपखण्ड स्तर

खण्डीय स्तर

वरिष्ठ लिपिक/

उपखण्ड लिपिक

कैशियर राजस्व/

वरिष्ठ लिपिक

उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता

लेखाकार राजस्व/ अधिशासी अभियन्ता

सखण्ड राजस्व

लेखाकार राजस्व

लेखाकार राजस्व

सखण्ड राजस्व अधिशासी अभियन्ता

सखण्ड राजस्व अधिशासी अभियन्ता

सलेखापियारी

राजस्व

लेखाकार राजस्व अधिशासी अभियन्ता

या सखण्ड राजस्व

सलेखापियारी

राजस्व

उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता

उपखण्ड लिपिक

संदर्भित लिपिक

उपखण्ड अधिकारी अधिशासी अभियन्ता

मुख्य लिपिक अधिशासी अभियन्ता

सूची

सूची

इच्छा

कम्प्यूटर से प्राप्त विद्युत बिलों का परीक्षण तथा वांछित कार्यवाही:

1. वृत्ती, पंखा, निजी नलकूप तथा 100 अंशों संबंधित विल लिपिक/दरिष्ठ विल लिपिक
2. 100 अंशों से अधिक औद्योगिक एवं अन्य विल लिपिक/दरिष्ठ विल लिपिक

लेखाकार राजवत् अथवा सी अथवा सी
सहायक राजवत् अथवा सी
लेखाकार राजवत् अथवा सी
सहायक राजवत् अथवा सी

विद्युत बिलों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की कार्यवाही:

1. उपखण्ड तक पहुंचाना

2. उपखण्ड से अदर अभियन्ता

3. उपभोक्ता तक पहुंचाना

बिलों में संगोपन तथा उसको कम्प्यूटर डाटा में सम्मिलित करना:-

1. वृत्ती एवं पंखा

2. निजी नलकूप तथा 100 अंशों तक के औद्योगिक एवं अन्य

संबंधित विल लिपिक/
दरिष्ठ विल लिपिक
उपखण्ड लिपिक
अदर अभियन्ता

लेखाकार राजवत् अथवा सी
सहायक राजवत् अथवा सी
उपखण्ड अभियन्ता अथवा सी
उपखण्ड अभियन्ता अथवा सी

संबंधित लिपिक/उपखण्ड लिपिक
संबंधित लिपिक/
दरिष्ठ लिपिक

सहायक राजवत् अथवा सी
लेखाकार राजवत् अथवा सी
लेखाकार राजवत् अथवा सी
सहायक राजवत् अथवा सी

उन्हें भी संगोपन करना
अधिकांशी अभियन्ता
आदेश प्राप्त कर फाइल
जमा करना
संगोपनों पर
डिप्टी रजिस्ट्रार को सूचना देना

राजस्व तथा सह
अभिप्राय राजकोष के

| क्र.सं. | विवरण | उपखण्ड | अधिकारी |
|---------|--|--------------------|---------------------------|
| 1 | कोटेशन निर्गमन नोटिस निकालना | उपखण्ड 4 | उपखण्ड अधिकारी |
| 2 | संबंधित लिपिक या किते काय सौंपा गया हो | लेखाकार | अधिशाली अभियन्ता |
| 3 | संबंधित लिपिक | संबंधित सम्बद्ध | उपमहाप्रबन्धक |
| 4 | लेखाधिकारिक/राजस्व | अधिशाली अभियन्ता | उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक |
| 5 | संबंधित लिपिक/कार्यालय | संबंधित अधिशाली | |
| 6 | अधीक्षक | अभियन्ता | |
| 7 | उपमुख्य लेखाधिकारी | उपमुख्य लेखाधिकारी | |

कोटेशन प्राप्त होने पर कम्प्यूटरी स्टेटमेंट बनाना/रुख आदेश निर्गत कराना:-

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | उपखण्ड स्तर | उपखण्ड 4 लिपिक | उपखण्ड अधिकारी |
| 2 | खण्ड स्तर | संबंधित लिपिक/लेखाकार | अधिशाली अभियन्ता |
| 3 | मण्डल स्तर | मुख्य लिपिक | वरिष्ठतम अधिकारी/उपमहाप्रबन्धक |
| 4 | क्षेत्र स्तर | संबंधित लिपिक/कार्यालय अधीक्षक | अधिशाली अभियन्ता |
| 5 | सामग्री की प्राप्ति:- | | |
| 6 | मण्डल स्तर/क्षेत्र स्तर | मण्डली/अवर अभियन्ता | अधिशाली अभियन्ता |
| 7 | उपखण्ड/खण्ड स्तर | उपखण्ड/अधीक्षक | अधिशाली अभियन्ता |

2

3

4

4. 400 के.सी. 0. लाईनों की
पेड़ों लिंग का निरीक्षण अवर
अभियन्ता तथा उपखण्ड अधिकारी
सम्मिलित रूप से शत-प्रतिशत
करेंगे। अभियन्ता 20 प्रतिशत
का निरीक्षण करेंगे।

पेटो लिंग में प्राप्त छद्मों को
दूर करने हेतु सौमग्री प्रवन्ध
शुद्धि दूर करना

तकनी शिपन
ग्रेड-2 लाईन

विद्युत उपस्थानों का निरीक्षण:-

१। प्रत्येक दिन
२। प्रत्येक तप्ताह
३। प्रत्येक माह

निरीक्षण में पाई कमियों
को दूर करने हेतु लागू
प्रत्यक्ष तथा उते दूर कराना।

लाईनों तथा विद्युत उपस्थानों
का सार्वजनिक रख-रखाव

विद्युत उपस्थानों का परियोजन:-
१। 132 के.सी. 0 तक
विद्युत उपस्थान परियोजना अवर अभियन्ता

अधिसारी अभियन्ता

उपखण्ड अधिकारी

अवर अभियन्ता

उपखण्ड अधिकारी

अधिसारी अभियन्ता

उपमहाप्रबन्धक

अधिसारी अभियन्ता

अधिसारी अभियन्ता

उपखण्ड अधिकारी

धनानः -

कः अपिष्ठान के स्वीकृत पदों का लेखा-लेखा तथा उसके मुख्या रा प्रेक्षण

खः उपसंख्य जन-शक्ति वा उपयोग

गः वेतन तथा अन्य देयों का वित्त दत्तक

घः उपखण्ड स्तर

चः खण्ड स्तर

छः वेतन दीजकों का निराक्षण

जः वेतन निरीक्षण

झः उपखण्ड स्तर

टः खण्ड स्तर

डः अवकाश स्वीकृति तथा उसके लेखा-लेखा

णः स्थानान्तरण पर तैरा पुरितका का प्रेक्षण/निर्गमन

तः स्थानान्तरण पर स्वरूपों ०५०/०५०/०५०

थः सांति फिस्ट का प्रेक्षण/निर्गमन

दः अनुशासनिक कार्यवाही

धः विधिक मामलों का निस्तारण एवं रवी

नः कार्मिकों के मामलों एवं क्षमताओं का

निस्तारण।

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

अध्यासी अभियन्ता

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक

मुख्य लिपिक